राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं

निदेशालय प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग

क्रमांक F.21(5) NHM/Deworming III/2017/6526 दिनांकः– 06-01-2017

समस्त जिला कलेक्टर
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक, माध्यमिक शिक्षा)
समस्त उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग
समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्
समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी

राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस (NDD) 2017 दिशा निर्देश

मृदा से संचारित कृमि संक्रमण (Soil Transmitted Helminths) भारत के लिए जन स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण विषय है। देश मे 1–14 वर्ष के लगभग 22 करोड़ बच्चों को आंत मे कृमि का खतरा होने का अनुमान हैं। साक्ष्य यह बताते है कि कृमि संक्रमण बच्चों के शारीरिक विकास, एनीमिया, पोषण और ज्ञान सम्बंधी विकास के साथ–साथ विद्यालय की उपस्थिति पर भी हानिकारक प्रभाव डालता हैं। निश्चित समयांतराल पर डिवर्मिंग करने से कृमि संक्रमण के फैलाव को रोका जा सकता है। वर्ष 2016 में देशभरमें डिवर्मिंग कार्यक्रम को व्यापक स्तर पर एक निश्चित दिन पर कम लागत, सरल एवं सुरक्षित तरीके से आयोजित किया गया ताकि भारत में लाखों बच्चों पर कृमि संक्रमण के हानिकारक प्रभाव को कम किया जा सके।

वर्ष 2017 के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य एवंपरिवार कल्याण मंत्रालय के साथ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है कि डिवर्मिंग का वार्षिक चरण दिनांक 10 फरवरी 2017 को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस (NDD) और उसके साथ मॉप अप दिवस (MUD) दिनांक 15 फरवरी 2017 को पूरे भारत के स्कूल और आंगनबाड़ी केन्द्रों पर मनाया जायेगा। इसके साथ–साथ एल्बेन्डाजॉल गोली को लेने के फायदे और स्वच्छता सम्बंधित व्यवहार को अपनाने के फायदों के बारे में जागरूकता गतिविधियां भी आयोजित की जायेगी।

राजस्थान सरकार राज्य में बच्चों के स्वास्थ्य के स्तर में सुधार करने हेतु प्रतिबद्व है। कृमि संक्रमण को कम करने हेतु राजस्थान में वर्ष 2012 से स्कूल और आंगनबाड़ी आधारित कृमि मुक्ति कार्यक्रम व्यापक स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। राज्य में इस कार्यक्रम को फरवरी 2015 और फरवरी 2016 में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के तहत स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग (ICDS) के साझा प्रयासो और यूनिसेफ एवं एविडेंस एक्शन के तकनीकी सहयोग से आयोजित करके सभी 1 से 19 वर्ष के बच्चों को कृमि मुक्त करने हेतु लक्षित किया गया था।

हम राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस को आयोजित करने में स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के योगदान के साथ अन्य सहयोगी विभागों की सक्रिय भागीदारी की आशा करते हैं। तीनों विभागों द्वारा इस कार्यक्रमके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने एवं कवरेज को बढ़ाने हेतु राज्य, जिला एवं खंड स्तर पर संयुक्त प्रयास करने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 2017 के सफल क्रियान्वयन हेतु तीनों विभागों में समन्वय बढ़ाने के लिए निम्नलिखित बिन्दूओं पर कार्य करना अपेक्षित है:

1. सभी सहयोगी विभाग, स्कूल और आंगनबाड़ी आधारित राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के आयोजन हेतु निर्धारित दिनांक 10 फरवरी 2017 और मॉप अप दिवस हेतु निर्धारित दिनांक 15 फरवरी 2017 को इस कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु स्वास्थ्य विभाग से आवश्यक समन्वय स्थापित करें।
2. जिला एवं खंड स्तर पर जिला कलेक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में स्वास्थ्य समिति की बैठक करे, जिसमे स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं अन्य सहयोगी विभागों के अधिकारियों को सम्मिलित किया जाये, जिससे कि कार्यक्रम हेतु योजना निर्माण, क्रियान्वयन और रिपोर्टिंग पूर्व निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित की जा सके।
3. सभी विभाग अपनी विभागीय बैठकों में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवसके मुद्दे को प्रमुखता से शामिल करें जिससे कि कार्यक्रम से सम्बंधित मुख्य सन्देशों को बताया जा सके और उच्च कवरेज के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिल सके।
4. राज्य स्तर पर शिक्षा विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के ब्लॉक अधिकारियों का प्रशिक्षण स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से किया जावेगा जबकि खंड स्तरीय अध्यापकों एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण उनके सम्बधित विभागों द्वारा कार्यक्रम प्रशिक्षण तंत्र (Training Cascade) अनुसार कराया जायेगा।
5. कार्यक्रम के बारे में जागरूकता और कवरेज को बढ़ाने के लिए सभी भागीदार विभाग स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त प्रचार–प्रसार सामग्री को स्कूलों, आंगनबाड़ी केन्द्रों और समुदाय मे उपयुक्त जगह पर प्रसारित करेंगे।
6. सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 1 से 6 वर्ष तक के सभी बच्चों (आंगनबाड़ी में पंजीकृत एवं आंगनबाड़ीमें अपंजीकृत बच्चों) और स्कूल न जाने वाले 6–19 वर्ष के बच्चों को एल्बेंडाजॉल की गोली अपनी देखरेख में अवश्य देवें। सभी स्कूल के अध्यापक 6 से 19 वर्ष तक के बच्चों को जो प्राईवेट स्कूल, सरकारी स्कूल, केन्द्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूल, स्थानीय निकाय द्वारा चलाये जा रहे स्कूल, मदरसा, आदिवासी क्षेत्र के लिए चलाए जा रहे स्कूल, संस्कृत स्कूल इत्यादि में नामांकित है उन्हे एल्बेंडाजॉल की गोली अपनी देखरेख में अवश्य देवें।
7. सभी आशाओं द्वारा उनके क्षेत्र में स्कूल न जाने वाले बच्चों (6–19 वर्ष)और आंगनबाड़ी में अपंजीकृत बच्चों(1–6 वर्ष) की सूची तैयार की जानी है तथा राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस और मॉप अप दिवस के दिन उन बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्र पर से एल्बेंडाजॉल गोली लेने के लिए प्रेरित किया जाना है। इस कार्य के लिए आशा को 100 रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

8. सभी सम्बंधित विभागों को एल्बेंडाजॉल गोली के बारे में यह जानकारी दी जावे कि यह गोली सभी के लिए सुरक्षित है, और भरे या खाली पेट से कोई संबन्ध नहीं हैं। (WHO Guideline)
9. सभी सम्बंधित विभागों के अधिकारी राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस एवंमॉप–अप दिवस के दिन कार्यक्रम की मॉनिटरिंग करने हेतु निरीक्षण प्रपत्र का इस्तेमाल करें तथा भरे हुए प्रपत्रों को सम्बन्धित अधिकारियों को अवश्य देवे।
10. स्कूल और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा भरे गये रिपोर्टिंग प्रपत्र को रिपोर्टिंग तंत्र (Reporting Cascade) के अनुसार समय से जमा करवाना है। NDD Application मे इन्द्राज हेतु ब्लॉक स्तर की रिपोर्ट निधारित प्रपत्र में संकलित करके एक प्रति शिक्षा विभाग प्रारंभिक एवं माध्यमिक विभाग द्वारा BCMHO को 5 मार्च, 2017 तक देना सुनिश्चित करें।
11. स्वास्थ्य विभाग को नेहरू युवा केन्द्र संगठन, राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) और स्काउट एवं गाइड के साथ समन्वय बनाना हैं ताकि सभी उपलब्ध मंचों का उपयोग करते हुए समुदाय में अधिक से अधिक जागरूकता सुनिश्चत की जा सके।
12. राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस और मॉप अप दिवस को विद्यालय प्राचार्य/प्रधानाध्यापक, अध्यापक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता किसी भी प्रकार की प्रतिकूल घटना के समाधान के लिए सजग रहें। प्रतिकूल घटना होने पर समय से सूचना ANM को देवे। उक्त सूचना ANM के माध्यम से चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, खण्ड स्तरीय नोडल अधिकारी (BCMHO) और जिला स्तरीय नोडल अधिकार (RCHO) तथा राज्य स्तर पर राज्य नोडल अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग को दी जाये।
13. किसी भी प्रकार की प्रतिकूल घटना से निपटने के लिए खंड स्तर पर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK)की मोबाईल टीम और 108 को स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार रखा जाए।
14. स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य एवं जिला स्तर पर प्रेस/मीडिया प्रतिनिधियों को कार्यक्रम के बारे में जागरूक और संवदेनशील बनाने हेतु 9 फरवरी से पूर्व विशेष सत्र आयोजित किया जाये।
15. स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्यक्रम के बारे में समुदाय में जागरुकता बढ़ाने के लिए 9 फरवरी को राज्य, जिला एवं खंड स्तर पर उद्घाटन कार्यक्रम अवश्य आयोजित किये जाये। विभिन्न मीडिया के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार –प्रसार किया जाये।
16. शिक्षा विभाग जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से प्राईवेट स्कूलों की विशेष बैठक आयोजित करें जिससे उन्हें कार्यक्रम के सम्बंध में जागरूक करके उनकी भागीदारी बढ़ायी जा सके।
17. सभी सम्बंधित विभागों द्वारा राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस हेतु बच्चों के लिए तय किये गये जिले एवं खंडवार आंकड़े संलग्न है। रिपोर्टिंग करते समय जिले एवं खंड अधिकारियों द्वारा इन्हीं आकड़ों का उपयोग किया जाये।
18. एविडेंस एक्शन और यूनिसेफ द्वारा लगाए गये फील्ड स्टाफ भी जिला एवं खण्ड स्तर पर कार्यक्रम में सहयोग करेंगे।
19. मॉप अप दिवस (15 फरवरी 2017) के पश्चात संस्थानों (स्कूल एवं आंगनबाड़ी) में बची हुई दवा को नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर जमा करवायें। (Order No. 1798,1797 Dated 10-06-2016)

हमे यह विश्वास हैं कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 2017 में आपके सहयोग से हम 1–19 वर्ष के सभी बच्चों तक पहुंचने में सफल होंगे तथाइन सभी बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य और शैक्षणिक परिणाम से उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार ला पाएंगे।

(वीनू गुप्ता)	(कुलदीप रांका)	(नरेश पाल गंगवार)
प्रमुख शासन सचिव	**शासन सचिव**	**शासन सचिव**
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	**महिला एवं बाल विकास**	**स्कूल शिक्षा**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. निजी सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, राजस्थान सरकार
2. निजी सचिव, शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार
3. निजी सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्री, राजस्थान सरकार
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार
5. प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से निवेदन है कि उपलब्ध मंचों का उपयोग कर कार्यक्रम के बारे में जागरूकता पैदा करें।
6. आयुक्त, पंचायती राज विभाग से निवेदन है कि उपलब्ध मंचों का उपयोग करके कार्यक्रम के बारे में जागरूकता पैदा करें और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस को जिला एवं ब्लॉक स्तरीय बैठकों का एजेन्डा रखें।
7. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर
8. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, जयपुर
9. निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर
10. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर
11. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, बीकानेर
12. अतिरिक्त मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
13. सचिव, राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर
14. उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, जयपुर
15. उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, आगरा
16. उपायुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, जयपुर
17. निदेशक संस्कृत शिक्षा, जयपुर
18. निदेशक, आर.सी.एच., जयपुर
19. सचिव, राजस्थान भारत स्काउट एवं गाईड से निवेदन है कि स्काउट और गाईड के माध्यम से कार्यक्रम के बारे में जागरूकता पैदा करें।

20. मण्डल निदेशक नेहरू युवा केन्द्र संगठन से निवेदन है कि नेहरू युवा केन्द्र के स्वयं सेवकों के माध्यम से कार्यक्रम के बारे में जागरूकता पैदा करें।
21. समस्त प्राईवेट स्कूल यूनियन से निवेदन है कि सम्बंधित प्राईवेट स्कूलों में कार्यक्रम के बारे में जागरूकता पैदा करके उन्हें कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रेरित करें।
22. प्रतिनिधि, राष्ट्रीय कैडेट कोर से निवेदन है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर सदस्यों के माध्यम से कार्यक्रम के बारे में जागरूकता पैदा करें।
23. राज्य कार्यक्रम प्रबन्धक, एविडेन्स एक्शन
24. पोषण विशेषज्ञ, यूनिसेफ
25. सर्वर प्रभारी कक्ष को ईमेल एवं वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
26. रक्षित पत्रावली

प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

शासन सचिव
महिला एवं बाल विकास

शासन सचिव
स्कूल शिक्षा

13
24
6/1/17